न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 368/2017/225 आरटीए

1. गोपीराम पुत्र शेराराम जाति रेगर निवासी वार्ड नं. 19 भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

––अपीलान्ट

–: बनाम :–

1. दयाराम पुत्र गोपीराम जाति रेगर निवासी भादरा तहसील भादरा।
2. गुड्डी उर्फ सावित्री पुत्री गोपीराम पत्नि रामलाल जाति रेगर निवासी भादरा हाल निवासी डबवाली तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
3. भंवरी पुत्री गोपीराम पत्नि दौलतराम जाति रेगर निवासी भादरा तहसील भादरा हाल निवासी डबवाली तहसील व जिला सिरसा हरियाणा।
4. शकुन्तला पुत्री गोपीराम पत्नि गंगाराम जाति रेगर निवासी भादरा हाल निवासी आदमपुर मण्डी तहसील आदमपुर मण्डी जिला हिसार हरियाणा।
5. सन्तोष पुत्री गोपीराम पत्नि रामलाल जाति रेगर निवासी भादरा हाल निवासी कुम्हारोवाली ढाणी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
6. द्रोपती पुत्री गोपीराम पत्नि पवनकुमार जाति रेगर निवासी भादरा हाल निवासी कुम्हारोवाली ढाणी गन्धेली तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा तहसील भादरा।
8. उपपंजीयक भादरा तहसील भादरा।

–– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 06.09.2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा प्र0सं0 50/2017 अनवानी दयाराम आदि बनाम गोपीराम

श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 ता 6

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 7

निर्णय दिनांक –26.02.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 ता 6 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए पेश किया जिसके साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पेश कर अपीलांट के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज

भूमि को विरासतन भूमि होने का कथन करते हुए उक्त भूमि मे अपना जन्म से हक हिस्सा होना बताया गया और उपरोक्ता अपीलांट के नाम दर्ज होन के कारण रहन, बैय व मुन्तकिल नही करने तथा कब्जा किसी अन्य व्यक्ति को नही देने एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का अनुतोष चाहा जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि आक्षेपित निर्णय पूर्णतः गलत विधि विरूद्ध एवं एकतरफा विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत कथनो एवं प्रस्तुत दस्तावेजो पर कतई गौर नही किया एवं अपीलांट वृद्ध एवं 80 वर्ष का वरिष्ठ नागरिक है। अपीलांट ने अपने जीवन की सारी कमाई रेस्पो0 के बेहतरी के लिए लगा दी और अब उसकी रेस्पो0 कोई सहायता व सार सम्भाल नही कर रहे है। अपीलांट की आजीविका का जरिया मात्र उक्त भूमि है जिस पर वह आश्रित है। रेस्पो0 सं. 1 को अपीलांट ने शिक्षा दिलवाई उसके बाद उसने यूरोप मे जाकर काम करने का कहा इस पर अपीलांट ने उसके कहे मुताबिक उसी के लिए दो बीघा खातेदारी भूमि विक्रय की एवं रेस्पो0 सं. 1 के दो पुत्रो को आधुनिक इंजिनियरिंग की डिग्री दिलवाई थी और दोनो उंचे पदो पर आसी है। अपीलांट कृषि भूमि की उपज पर निर्भर है तथा रेस्पो ना ही कृषि कार्य करते है तथा ना ही कृषि उपज पर निर्भर है। अपीलांट को रहन बैय व मुन्तकिल करने से निषिद्ध कतई गलत तौर से किया गया है। विचारण न्यायालय ने वादग्रस्त सम्पति पैतृक एवं सम्पूर्ण हिस्से पर स्थगन आदेश जारी कर दिया गया जबकि अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है एवं रिकार्डेड खातेदार के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने के कारण अपास्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आरबीजे 2004 (11) पेज 163 से 165 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुये कथन किया कि वादग्रस्त भूमि जो अपीलांट के नाम से दर्ज है। उक्त कृषि भूमि पैतृक सम्पति है। जिसमे रेस्पो0 सं. 1 ता 6 जन्म से हक व हिस्सा निहित है। परन्तु रिकार्ड मे उक्त भूमि अपीलांट अकेले के नाम से दर्ज है जिसके कारण अपीलांट उक्त भूमि कभी भी रहन बैय व अन्य तरीके से मुन्तकिल कर सकता है। इसलिए रेस्पो0 सं. 1 ता 6 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत कर उसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया है। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय यह अंकित करते हुए कि वादग्रस्त भूमि के विक्रय से प्रार्थीगण अपने हक हिस्सा से वंचित रह जायेगे उन्हे अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति मे वाद बहुलता बढेगी और न्याय मे विलम्ब होगा। इसलिए अपीलांट/अप्रार्थी सं. 1 को ताफैसला दावा पाबंन्द किया गया वे वादग्रस्त भूमि को रहन बैय मुन्तकिल करें व मौका की यथास्थिति बनाये रखे। अपीलांट रिकार्डेड खातेदार होने की हैसियत से वादग्रस्त भूमि को विक्रय कर सकता है जिससे रेस्पो0/प्रार्थीगण के हित प्रभावित होगें। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है जो सही है। अधिवक्ता रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आरआरटी 2017 पेज 491, आरआरटी 2013 पेज 152, आरआरटी 2002 पेज 324 न्यायिक दृष्टांत पेश किये। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन निर्णय मे उल्लेखित किया

गया है कि ''हस्तगत प्रकरण मे प्रार्थीगण ने वादभूमि को दादालाई होना जाहिर किया है। वकील अप्रार्थी ने भी इस बिन्दू पर कोई प्रतिउत्तर पेश नही किया व न ही इस बिन्दू का बहस मे खण्डन किया है। इस प्रकार प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला साबित होता है। वादभूमि के विक्रय से प्रार्थीगण अपने हक हिस्सा से वंचित रह जायेगें उन्हे अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति मे वाद बहुलता बढेगी और न्याय मे विलम्ब होगा जिससे प्रार्थी को असुविधा होना निश्चित है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित होते है। चूंकि वादग्रस्त भूमि अपीलांट यानि रेस्पो0 सं. 1 ता 6 के पिता के नाम से दर्ज है तथा उक्त भूमि पैतृक/सहदायिक भूमि है जिसमे अपीलांट के साथ साथ रेस्पो0 सं. 1 ता 6 का बहिस्सा बराबर हक व हिस्सा निहित है। जो मूल वाद मे दस्तावेजी साक्ष्य एवं सबूतो के आधार पर तय होना है। उक्त परिस्थितियों मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुये दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पारित अपीलाधीन निर्णय मे किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक या विधिक त्रुटि प्रकट नही होती है। ऐसी स्थिति अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जानी न्यायोचित है।

6. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही होने के कारण अपील खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.09.2017 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़